राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक–प. 5(31) साप्र/3/82

जयपुर, दिनांक 12-08-2011

–:आज्ञा:–

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 17.11.09 के अधिक्रमण में शासन सचिवालय में कार्यरत निजी सचिवगण/वरिष्ठ निजी सहायक एवं निजी सहायक/स्टेनो को उनके कार्य प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये निवासीय/मोबाइल फोन बिलों के पुर्नभरण की सुविधा निम्नानुसार वर्णित तालिका एवं शर्तों के साथ उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क.सं.	पदनाम	वर्तमान में देय दर (प्रतिमाह)	नयी दरें (प्रतिमाह)
1.	निजी सचिव	₹ 400.00	₹ 500.00
2.	वरिष्ठ निजी सहायक	—	₹ 400.00
3.	निजी सहायक/स्टेनो	—	₹ 300.00"

शर्तें :–

1. निवासीय टेलीफोन/पोस्टपेड मोबाइल फोन मय कनेक्शन स्वयं सम्बन्धित धारक के नाम से होगा तथा मोबाइल हैण्डसेट एवं निवासीय टेलीफोन यंत्र भी स्वयं का निजी होगा।
2. निवासीय टेलीफोन/मोबाइल फोन पर उक्त तालिका में वर्णित सीमा तक ही बिलों का पुर्नभरण राजकोष से देय होगा तथा वास्तविक व्यय कम होने पर पुर्नभरण वास्तविक व्यय सीमा तक ही देय होगा। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय होने पर अधिक व्यय राशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।
3. यह आदेश माननीय राज्यपाल/मुख्यमंत्री/मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण तथा मुख्य सचिव के यहाँ पदस्थापित निजी सचिवगणों पर लागू नही होगा उनके लिये पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 05.08.11 के तहत् टेलीफोन+मोबाइल सुविधा ही देय है जो यथावत रहेगी।
4. बिलों का भुगतान सम्बन्धित टेलीफोन धारक द्वारा निजी तौर पर किया जाकर पुर्नभरण के लिये मूल बिल एवं बिल जमा की रसीद विधिवत् रूप से सत्यापित कर मुख्यलेखाधिकारी, शासन सचिवालय को अपनी खाता सं0 अंकित करते हुये दो प्रतियों में सीधे ही प्रेषित की जावेगी तथा एक प्रति सूचनार्थ इस विभाग को भी पृष्ठांकित की जावे।

यह आदेश वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. सं0 161100823 दिनांक 29.7.11 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1- निजी सचिव मा. राज्यपाल/मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान।

2- निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण।

3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।

4- निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/उप शासन सचिव।

5- उप शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग।

6- मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेशों के अनुसरण में निर्धारित मासिक वित्तीय सीमा तक के बिलों का पुर्नभरण/भुगतान कराये जाने से पूर्व कृपया संदर्भित आदेशों की शर्तो की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करायी जावे।

7 कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।

8- वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग।

9- रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव